202

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग-3244-I-16

पुनरीक्षण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

कमलसिंह बरकड़े उम्र 34 वर्ष पिता
स्व. विपत लाल बरकड़े (गौंड)
निवासी म.नं. 5, ग्राम नयागांव,
पोस्ट घाट पिपरिया जबलपुर ----- आवेदक

विरूद्ध

1— कमलेश कुमार सक्सैना उम्र 60 वर्ष
पिता स्व. देवकीनंदन सक्सैना
श्रीमती नीरा सक्सैना उम्र 53 वर्ष पति श्री कमलेश कुमार सक्सैना
दोनों निवासी प्लाट नं. 64, नयागांव
हाउसिंग सोसायटी, पोस्ट ऑफिस के पास विद्युत नगर,
ग्वारीघाट, जबलपुर

3— म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर ----- अनावेदकगण

22/9/16

<u>न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–9–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2— यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की कृषि भूमि मौजा नारायणपुर प.ह.नं. 30 (मानेगांव) तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129/1 रकबा 0.200 एवं खसरा नं. 130

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3244-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । आवेदक तथा उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम को आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 23-9-16 को आदेश पारित कर आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि क्रेता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि क्रेता द्वारा दुगनी राशि की व्यवस्था करने में समय लगने की बात कही जा रही है, उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित क्रेता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और और उक्त अवधि दिनांक 22-1-17 को समाप्त हो रही है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त आधार पर द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को विक्रयपत्र निष्पादन कराने हेतु आज दिनांक से 4 माह का समय और प्रदान किया जाता है । सदस्य	